न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–189/2014

CIS No.-TS 446/2018

आशा कुंवर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शंभु साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

`DATE	ORDER	REMARKS
21.11.2025	वादीगण की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से दिनांक 26.08.2025 को दाखिल आवेदन अंदर धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 26.08.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद एक पक्षीय बहस हेतु नियत है। बहस के तैयारी के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि वादीगण के द्वारा डी0सी0एल0आर0, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 03.06.2014 की मूल प्रति अभिलेख पर नहीं है और न ही प्रदर्श अंकित हो पाया है। वादीगण के द्वारा आदेश दिनांक 03.06.2014 के खिलाफ भी अनुतोष मांगा गया है इसलिए निर्णय हेतु उपरोक्त कागजात अभिलेख पर प्रदर्श होना न्यायहित में आवश्यक है। लेहाजा उपरोक्त वर्णित कागजात को प्रदर्श अंकित करने हेतु आदेश नहीं दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा दाखिल उपरोक्त वर्णित कागजात को प्रदर्श अंकित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–189/2014</u>

<u>CIS No.-TS 446/2018</u>

आशा कुंवर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शंभु साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.11.2025	अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिउत्तर हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 26.08.2025 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 06.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	